Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

जज अदालत उपजिला कलक्टर मुकाम मण्डावर जिला दौसा

लोकेश वगैरह बनाम रत्तीराम वगैरह

किस्म मुकदमा – राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 212 मुकदमा संख्या 35/22

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय ईनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.03.2024	लोकेश पुत्र श्री जगदीश जाति मीना निवासी उकरूंद तहसील मण्डावर जिला दौसा ....प्रार्थी बनाम 1.रत्तीराम पुत्र छाज्या जाति मीना निवासी उकरूंद तहसील मण्डावर जिला दौसा वगैरह ....अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 उपस्थित 1. श्री जितेन्द्र सिंह गुर्जर एडवोकेट– प्रार्थी 2. प्रार्थी स्वयं **निर्णय** दिनांक 09.03.2024 आज पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प महवा में पेश हुई। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत् विड्रो किया जाने वाद पत्र पेश किया। वादी ने अवगत कराया कि उनवानी प्रकरण में आगे कोई न्यायिक कार्यवाही नहीं चाहता हूं। मेरा वाद स्थगन कर यही पर समाप्त करने की कृपा करे। मैं उनवानी प्रकरण को आगे नहीं चलाकर विड्रो करना चाहता हूं। इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर उनवानी प्रकरण को विड्रो किये जाने की इजाजत फरमाई जाकर वादपत्र को विड्रो के आधार पर खारिज फरमाने हेतु निवेदन किया है। हमने वादी व उनके वकील को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। इस प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल वाद विड्रो के आधार पर खारिज हो चुका है। इस प्रार्थना पत्र को आगे चलाने का अब कोई औचित्य नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सारहीन होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। दिनांक 03.6.2022 को जारी की गई अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त (Vacate) की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Navneet Kumar Date: 2024.03.18 10:23:16 IST Reason: Self Attested सदस्य राजस्व अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच महवा न्यायिक अधि[illegible] राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच महवा	

Scanned with CamScanner